भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 42
उत्तर देने की तारीख 03.02.2025

भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधि

42. श्री अजय कुमार मंडल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विशेषकर बिहार में भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने एवं उसे बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) संचालित करता है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसके माध्यम से बिहार राज्य सहित पूरे देश में भारतीय संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण और संरक्षण के लिए सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार सहित विभिन्न राज्यों की लोक कला और स्थानीय संस्कृति के विभिन्न रूपों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय केन्द्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) देश भर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का नियमित आधार पर आयोजन करते हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक

केंद्र (जेडसीसी) अपने कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 42 क्षेत्रीय महोत्सव भी आयोजित करते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान देश में 3 आरएसएम और 4 क्षेत्रीय स्तर के आरएसएम आयोजित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, बिहार पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता (ईजेडसीसी) और उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी), प्रयागराज का सदस्य राज्य है। विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में जेडसीसी द्वारा भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उनका संवर्धन करने के लिए आयोजित कार्यकलापों/कार्यक्रमों एवं तैयार किए गए नए कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है। साथ ही, मंत्रालय के नियंत्रणाधीन जेडसीसी/स्वायत्त निकायों/अकादमियों के माध्यम से संचालित स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है।

(ग): बिहार राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान कला संस्कृति विकास योजना की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

'भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधि' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

संस्कृति मंत्रालय कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित करता है।

1. **गुरू-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत एवं नृत्य क्षेत्र में 01 गुरू और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। कलाकारों की आयु के अनुरूप गुरु के लिए 15000/- रु. प्रतिमाह, शिष्य के लिए 2000-10000/- रुपए प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन में शामिल राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों का संवर्धन और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता की राशि 01 करोड़ रुपये तक है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5

लाख रुपए का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

V. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi. संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के

लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपए।

vii. **अमूर्त सांस्कृतिक विरासतः**

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) आदि को पुनः सक्रिय करने और पुनः जीवंत बनाने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलापों/परियोजनाओं का आयोजन कर सकें।

viii. स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवंबर, 2015 से देश में संस्कृति मंत्रालय द्वारा चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए जा चुके हैं।

3. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत) के लिए प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थलों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों, प्रतिष्ठित गैर-लाभ-अर्जक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाओं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। सामान्यतः इस स्कीम घटक के अंतर्गत, किसी परियोजना के लिए अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार/पूर्वोत्तर परियोजनाओं हेतु एनजीओ या संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा तथा एनईआर को छोड़कर, केन्द्रीय सहायता और राज्य के हिस्से (समतुल्य हिस्सा) का अनुपात 60:40 है।

4. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में निम्नलिखित तीन (03) घटक हैं।

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग (वरिष्ठ) के उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए क्रमश: 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में मान्यताप्राप्त अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को सुदृढ़ एवं जीवंत बनाना है ताकि विद्वानों/शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करते हुए इन संस्थाओं के साथ पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर वे स्वयं को संबद्ध कर सकें। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए कुल 15 अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और कुल 25 छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति चार (04) बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के अनुभवी कलाकारों एवं विद्वानों जिनकी वार्षिक आय 72000/- रुपये से अधिक न हो और उन्होंने कला, साहित्य आदि के अपने विशेष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, को प्रति माह 6000/- रुपये की दर से वित्तीय

सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात वित्तीय सहायता उनके/उनकी पति/पत्नी को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

6. सेवा भोज योजना

'सेवा भोज योजना' की स्कीम के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं को जनता को मुफ्त भोजन वितरित किए जाने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और केन्द्र सरकार के एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है। सेवा भोज योजना स्कीम के अंतर्गत गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक आश्रम, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर, मठ, बौद्ध मठ आदि जैसे धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा वितरित किए जाने वाले मुफ्त 'प्रसाद' या मुफ्त भोजन या मुफ्त 'लंगर'/'भंडारा' (सामुदायिक रसोई) आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-II

'भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधि' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में आयोजित कार्यकलाप/ कार्यक्रम (वर्षवार)

क्र. सं.	कार्यकलाप/ कार्यक्रम का नाम	दिनांक
	2022-23	
1	बाबा साहब अंबेडकर की जयंती	13-14 अप्रैल 2022
2	सीतामढ़ी महोत्सव-2022	10 और 11 मई, 2022
3	एक भारत श्रेष्ठ भारत	23 और 24 मई 2022
4	बिहार की दृश्य कला पर कार्यशाला	23-29 मई 2022
5	विश्व योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस का उत्सव संगीत में योग	21 जून 2022
6	हर घर तिरंगा पटना , बिहार	12 और 13 अगस्त 2022
7	हर घर तिरंगा चंपारण, बिहार	12 और 13 अगस्त 2022
8	पूर्णिया में हर घर तिरंगा	12 और 13 अगस्त 2022
9	ध्रुब कुंड्ड, कोटिहार में हर घर तिरंगा	12 और 13 अगस्त 2022
10	हर घर तिरंगा आरा, जगदीशपुर	13 अगस्त 2022
11	हर घर तिरंगा	13 अगस्त 2022
12	हर घर तिरंगा औरंगाबाद , बिहार में	13 और 14 अगस्त 2022
13	हर घर तिरंगा सारण , बिहार में	13 और 14 अगस्त 2022
14	झूलन उत्सव, पालीगंज , बिहार	20 और 22 सितंबर 2022
15	आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सुंदर सुभूमि	24-25 सितंबर 2022
16	पटना, बिहार में छठ पर्व कार्निवल	30-31-अक्टूबर-2022
17	10 वां राष्ट्रीय प्रयास नाट्य मेला-2022	06-10-नवंबर-2022
18	बिहार और झारखंड में वंदे भारतम् की राज्य प्रतियोगिता	21 नवंबर 2022
19	युवा रंग महोत्सव – 2023	15-16-जनवरी-2023
20	स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती	25-फरवरी-2023
21	गुरु शिष्य परम्परा स्कीम- भोजपुरी लोक गीत	अप्रैल, 2022-मार्च, 2023
22	गुरु शिष्य परम्परा स्कीम - बेनु शिल्प	अप्रैल, 2022-मार्च, 2023
	2023-24	
23	सीतामढ़ी उत्सव	29-अप्रैल-2023
24	जानकी जन्मोत्सव	1 - 3 जून 2023

25	वंडर केव्स – भारतीय किला और गुफा महोत्सव	10-11 जुलाई 2023
26	मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान	9-15 अगस्त 2023
27	गंगा संस्कृति यात्रा	26 अगस्त 2023
28	गंगा संस्कृति यात्रा	28 अगस्त 2023
29	झूलन उत्सव	4 – 6 सितंबर, 2023
30	11वाँ राष्ट्रीय प्रयास नाट्य मेला	3 नवंबर, 2023 से 7 नवंबर, 2023 तक
31	एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम	17 और 18 नवंबर, 2023
32	छठ पर्व	19 और 20 नवंबर, 2023
33	73वें नालंदा स्थापना दिवस के अवसर पर नालंदा महोत्सव	21 नवंबर, 2023
34	इंद्रधनुष कार्यक्रम	21 – 23 दिसंबर, 2023
35	अंग नाट्य उत्सव	16 से 18 फरवरी, 2024
36	गुरु शिष्य परम्परा स्कीम - भोजपुरी लोक गीत	अप्रैल, 2023-मार्च, 2024
37	गुरु शिष्य परम्परा स्कीम - बेनु शिल्प	अप्रैल, 2023-मार्च, 2024
	2024-25	
38	बिहार शिल्प पर कार्यशाला	27 मई, 2024 से 5 जून 2024 तक
39	हर घर तिरंगा अभियान	9 – 15 अगस्त, 2024
40	एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम त्रिपुरा-बिहार-मिजोरम	9 और 10 अगस्त, 2024
41	झूलन उत्सव	27 – 29 अगस्त 2024
42	काली पूजा महोत्सव सह सांस्कृतिक महोत्सव	6 नवंबर, 2024
43	छठ पर्व	7 और 8 नवंबर, 2024
44	गुरु शिष्य परम्परा स्कीम - गाथा गायन, बिहार	11 नवंबर, 2024
45	जन जातीय दिवस	16 नवंबर, 2024
46	इंद्रधनुष	22 – 24 नवंबर, 2024
47	विलुप्त एवं संकटापन्न लोक कला महोत्सव	23 नवंबर, 2024
48	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	13 दिसंबर , 2024
49	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	13 दिसंबर , 2024
50	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	15 दिसंबर, 2024
51	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	15 दिसंबर, 2024
52	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	22 दिसंबर, 2024
53	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	25 दिसंबर , 2024
54	मैं अटल रहूँगा	25 दिसंबर 2024
55	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	3 जनवरी 2025

2. विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उसका संवर्धन करने के लिए तैयार किए गए नवीन कार्यक्रमों का ब्यौरा।

क्र. सं.	कार्यकलाप/कार्यक्रम का नाम	दिनांक
	2022-23	
1	बिहार की दृश्य कला पर कार्यशाला	23-29 मई 2022
2	युवा रंग महोत्सव – 2023	15-16-जनवरी-2023
	2023-24	
3	वंडर केव्स – भारतीय किला और गुफा महोत्सव	10-11 जुलाई 2023
4	गंगा संस्कृति यात्रा	26 अगस्त 2023
5	गंगा संस्कृति यात्रा	28 अगस्त 2023
	2024-25	
6	बिहार शिल्प पर कार्यशाला	27 मई, 2024 से 5 जून 2024 तक
7	जनजातीय दिवस	16 नवंबर, 2024
8	विलुप्त एवं संकटापन्न लोक कला महोत्सव	23 नवंबर, 2024
9	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	13 दिसंबर , 2024
10	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	13 दिसंबर , 2024
11	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	15 दिसंबर, 2024
12	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	15 दिसंबर, 2024
13	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	22 दिसंबर, 2024
14	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	25 दिसंबर , 2024
15	विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव	3 जनवरी 2025

अनुलग्नक – III

'भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधि' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमें

i. **युवा प्रतिभावान कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करना :** ''युवा प्रतिभावान कलाकार'' नामक इस स्कीम को युवा प्रतिभावान कलाकारों को विशेष रूप से दुर्लभ कला रूपों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए संचालित किया जाता है। इसमें 18-30 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभावान युवा कलाकारों का चयन किया जाता है और उन्हें 10,000/- रुपए का एकबारगी नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ii. **गुरु-शिष्य परंपरा:** इस स्कीम का उद्देश्य हमारी मूल्यवान परंपराओं को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने की संकल्पना की गई है। शिष्यों को दुर्लभ और विलुप्त हो रहे कला रूपों के अनुभवी गुरुओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। क्षेत्र के दुर्लभ और विलुप्त प्राय कला रूपों की पहचान की जाती है और 'गुरूकुल' परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादकों का चयन किया जाता है। इस स्कीम के लिए छह माह से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक गुरु को 7,500/- रुपये, संगतकार को 3,750/- रुपये और शिष्य को 1,500/- रुपये का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। राज्य सांस्कृतिक कार्य विभागों द्वारा गुरुओं के नामों की अनुशंसा की जाती है।

iii. **रंगमंच नवीनीकरण :** मंच प्रस्तुतियों और निर्माण अभिमुखी कार्यशालाओं आदि सहित रंगमंच कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते को छोड़कर प्रति शो 30,000/- रु. तक मानदेय प्रदान किया जाता है। इन समूहों के संबंध में अंतिम निर्णय इनकी प्रतिष्ठा और इनके द्वारा प्रस्तुत परियोजना के गुणावगुण के आधार पर लिया जाता है।

iv. **शोध एवं प्रलेखन :** संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, ललित कला आदि के क्षेत्र में लोक, जनजातीय एवं शास्त्रीय कला रूपों सहित विलुप्त हो रहे दृश्य एवं मंच कला रूपों को प्रिंट/श्रव्य–दृश्य मीडिया में परिरक्षित, संवर्धित और प्रसारित करना। राज्य सांस्कृतिक विभाग के परामर्श से कला रूप को अंतिम रूप दिया जाता है।

v. **शिल्पग्राम :** संगोष्ठी, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, शिल्पकला मेलों के आयोजन द्वारा क्षेत्रीय लोक एवं जनजातीय कला तथा शिल्प कला का संवर्धन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कारीगरों को अभिकल्प विकास और विपणन सहायता प्रदान करना।

vi. **ऑक्टेव** : अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा नामक आठ राज्यों वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को शेष भारत में संवर्धित और प्रसारित करना।

vii. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (एनसीईपी)** : इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवन रेखा के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत, सदस्य राज्यों में मंचकलाओं, प्रदर्शनियों, यात्राओं आदि से संबंधित विभिन्न महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों/राज्यों से कलाकारों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देश के अन्य भागों में आयोजित होने वाले महोत्सवों में इस क्षेत्र के कलाकारों को भाग लेने के लिए सुविधा भी प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय केंद्र सदस्य राज्यों में होने वाले प्रमुख महोत्सवों में भी, इन महोत्सवों के दौरान कला प्रस्तुतियों की व्यवस्था करते हुए भाग लेते हैं, जहां बड़ी संख्या में दर्शकों को अन्य क्षेत्रों के कला रूपों का आनंद लेने और इन्हें समझने का अवसर प्राप्त होता है। ये महोत्सव हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों का आनंद लेने और उन्हें समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

2.संस्कृति मंत्रालय की अकादमी (मियों)/स्वायत्त निकायों द्वारा संचालित स्कीमें

➢ **सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी)**

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। सीसीआरटी देश भर में विविध संस्कृति, जागरूकता और परंपरा के परिरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन हेतु सेवारत शिक्षकों/शिक्षार्थियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम और विषयगत कार्यशाला आयोजित करता है। सीसीआरटी राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना (सीटीएसएसएस) भी लागू करता है, जिसका उद्देश्य 10-14 वर्ष की आयु के चयनित प्रतिभाशाली बच्चों को पारंपरिक संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प और साहित्यिक कार्यकलापों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना है। छात्रवृत्ति धारक के लिए छात्रवृत्ति 3600/- रुपये प्रति वर्ष है, इसके अतिरिक्त गुरु/शिक्षक को भुगतान की गई वास्तविक ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 9000/- रुपये प्रति वर्ष है।

➢ **संगीत नाटक अकादमी (एसएनए)**

नई दिल्ली में स्थित संगीत नाटक अकादमी (एसएनए) देश भर में लोक और जनजातीय मंच कलाओं पर केंद्रित ' देशज ' सहित विभिन्न उत्सवों का आयोजन करती है। एसएनए मंच कलाओं के परिरक्षण और संवर्धन के लिए अपने दृश्य-श्रव्य संग्रह के लिए प्रदर्शन कलाओं के शोध, प्रलेखन, दस्तावेज़ों के प्रकाशन और अभिलेखों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है।

➢ **साहित्य अकादमी (साहित्य अकादमी)**

साहित्य अकादमी (एसए), नई दिल्ली, स्थानीय साहित्यिक संगठनों, राज्य अकादमियों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में संगोष्ठियां, विचार-सगोष्ठियां जैसे विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करती है।

- **ललित कला अकादमी (एलकेए)**

ललित कला अकादमी झारखंड राज्य सहित पूरे देश में अद्वितीय महत्व के कला शिविरों, कार्यशाला, प्रदर्शनियाँ और शैक्षिणिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। अकादमी का लखनऊ में एक क्षेत्रीय केंद्र भी है। क्षेत्रीय केंद्र में कलाकार समुदाय के लाभ और कला के संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (आईजीआरएमएस), भोपाल**

आईजीआरएमएस देश भर में कला, संस्कृति और विरासत को परिरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों, शैक्षणिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, मंच कला प्रस्तुतियों, संगोष्ठियों आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

अनुलग्नक- IV

'भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधि' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बिहार राज्य में कला संस्कृति विकास योजना के तहत विभिन्न स्कीमों के लिए जारी राशि का ब्यौरा

(राशि लाख में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष					
		2021-22		2022-23		2023-24	
		संगठन की संख्या	जारी की गई निधि	संगठन की संख्या	जारी की गई निधि	संगठन की संख्या	जारी की गई निधि
1.	गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	30	190.80	60	363.82	158	697.37
2.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	68	181.00	89	217.50	87	272.70
3.	स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान के लिए वित्तीय सहायता स्कीम	-	-	1	0.60	1	6.00

*****